न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिवाना

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद सिरवी ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 78 /2019

प्रार्थी	बनाम	विप्राथीगण
राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार समदड़ी		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार समदड़ी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित–1. पैरोकार सरकार,नायब तहसीलदार समदड़ी प्रार्थी की ओर से।

2. विप्रार्थी –तहसीलदार समदड़ी

आदेश

दिनांक– 26.8.19

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है। कि प्रार्थी की ओर से डिजिटल नेशनल लैण्ड मोड्राईजेश प्रोग्राम के अन्तर्गत जमाबंदी एवं नक्शा लटढा मौका स्थिति के अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्ती का कार्य किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत तहसील समदड़ी के राजस्व ग्राम फूलण के खसरा संख्या 130 रकबा 61–05 बीघा किस्म रेतली राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में दर्ज है। लेकिन राजस्व नक्शा लटढा में उक्त खसरा एक ही स्थान पर नहीं होकर अलग अलग भागों में विभाजित होने के कारण राजस्व रिकार्ड एवं लटढा नक्शें में एकरूपता नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा लटढा नक्शे स्थिति अनुसार जमाबंदी में खसरा नम्बर दर्ज करवानें हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। और विप्रार्थी तहसीलदार समदड़ी ने उपस्थित होकर प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करने की सहमति दी गई।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

3.दोनो पक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की ओर से डिजिटल नेशनल लैण्ड मोड्राईजेश प्रोग्राम के अन्तर्गत जमाबंदी एवं नक्शा लटढा मौका स्थिति के अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती का कार्य किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत तहसील समदड़ी के राजस्व ग्राम फूलण के खसरा संख्या 130 रकबा 61–05 बीधा राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में दर्ज है। लेकिन राजस्व नक्शा लटढा में खसरा संख्या 130 एक ही स्थान पर नहीं होकर अलग अलग भागों में मौके के नजरी नक्शे अनुसार विभाजित है। इस कारण मौके अनुसार खसरा व रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना अपेक्षित है। लेकिन वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं नक्शा लटढा में एकरूपता नहीं हैं,इस कारण खसरा संख्या 130 के स्थान पर खसरा संख्या 130/1,130/2,130/3,130/4,130/5,130/6 कमशः रकबा 19–08 , 2–00 ,23–03,1–04,2–10,13–00 बीधा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें। रिकार्ड दुरूस्ती करने से मौके की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

5. विप्रार्थी तहसीलदार समदड़ी ने भी प्रार्थी पक्ष की बहस का समर्थन करते हुए आवेदन स्वीकार किये जाने की सहमति दी गई।

6.हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। तहसीलदार समदड़ी की रिर्पोर्ट के अनुसार ग्राम फूलण तहसील समदड़ी की खसरा संख्या 130 रकबा 61–05 बीधा किस्म रेतली राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में दर्ज है। जबकि उक्त भूमि के खसरा नम्बर अनुसार लटढा नक्शा में तरमीम नहीं हो रखी है। व मौके पर भी भूमि एक स्थान पर न होकर अलग अलग भागों में विभाजित हो रखी है। इस कारण राजस्व रिकार्ड एवं लटढा नक्शा में एकरूपता नहीं हैं, इस कारण उक्त भूमि के मौका स्थिति के अनुसार राजस्व रिकार्ड(जमाबंदी) में खसरा नम्बर विभाजित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है,एवं ऐसा किये जाने से जमाबंदी व मौके की

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तहसीलदार समदड़ी में भी जमाबंदी में दुरूस्ती किये जाने की अभिशंषा की गई है। उपयुर्क्त विवेचन से स्पष्ट है,कि आवेदित प्रकरण में मौका स्थिति अनुसार जमाबंदी में खसरा विभाजित किया जाना न्यायोचित एवं विधि संगत है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

6.**लिहाजा** प्रार्थी का आवेदन राज्यहित की भावना को मददेनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम फूलण पटवार क्षेत्र सावंरड़ा तहसील समदड़ी के राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में दर्ज खसरा संख्या 130 रकबा 61–05 बीधा किस्म रेतली के स्थान पर खसरा संख्या 130/1 रकबा 19–08 बीधा किस्म रेतली, 130/2 रकबा 2–00 बीधा किस्म रेतली, 130/3 रकबा 23–03 बीधा किस्म रेतली, 130/4 रकबा 1–04 बीधा किस्म रेतली (रास्ते के उपयोग),130/5 रकबा 2–10 बीधा किस्म रेतली, 130/6 रकबा 13–00 बीधा किस्म रेतली राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) व लटढा नक्शा में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार समदड़ी को आदेशित किया जाना है,कि तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। तहसीलदार समदड़ी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संलग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी सिवाना

आदेश आज दिनांक 26.08.19 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी सिवाना
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Seervi
Date: 2019.11.28 12:37:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: